न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–276/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00400)

1. संजय सिह पुत्र स्व. ठाकुर चक्रपाणी सिंह, जाति राजपूत निवासी बासऊ जिला झुन्झुनू हाल निवासी बासऊ हाउस चांदपोल जयपुर राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम श्री प्रहलाद सिंह पुत्र रावत सिंह उम्र 60 साल, जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 66, आर.के.पुरम खातीपुरा जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाय, पंचायत समिति नवलगढ जिला झुन्झुनू जरिये ग्राम पंचायत बाय श्री बहादुर सिंह पुत्र नागरमल निवासी बाय, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर झुन्झुनू राजस्थान।
3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बाय तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू स्थित आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा0.19 हैक्टयर चाही बरानी बंजड, खसरा नम्बर 658 रकबा 8.00 हैक्टयर गैर मुमकिन बरानी, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.4000 हैक्टयर गैर मुमकिन आबादी ग्राम बाय में स्थित है तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के दादा स्व.ठाकुर श्री रघुवीर सिंह के नाम से दर्ज है जिनके देहान्त के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके दो पुत्र स्व. ठाकूर चक्रपाणी सिंह तथा स्व. ठाकुर श्री आजाद शत्रु सिंह तथ एक पुत्री दुर्गेश नन्दिनी थे जिनमे से दोनों पुत्रों का भी देहावसान हो चुका है। स्व. ठाकुर श्री चक्रपाणी सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके दो पुत्र ठाकुर श्री संजय सिह तथा ठाकुर श्री प्रणय सिंह तथा स्व. ठाकुर श्री आजाद शत्रु सिह के उत्तराधिकारी के तौर पर पुत्री प्रियदर्शनी तथा पत्नी आनन्द कुमारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि रघुवीर सिह के जीवनकाल में अपीलार्थी तथा अन्य उत्तराधिकारी व्यवसाय के सिलसिले मे जयपुर आ गये तथा अपनी उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि की सार–संभाल हेतु 4–5 साल में आते रहे तथा स्व. ठाकुर श्री रघुवीर सिं का देहान्त वर्ष 2005 में होने के पश्चात् अपीलार्थी अथवा उनका अन्य उत्तराधिकारी ग्राम बाय नही आ सका तथा इसी दौरान स्व. ठाकुर श्री चक्रपाणी सिह व स्व. ठाकुर श्री आजाद शत्रु सिंह की भी मृत्यु हो गयी लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त स्थितियों का अंकन नही किया जा सका तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि स्व. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह के नाम से ही दर्ज रही है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 24.11.

P.T.O.

2015 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेशों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 पारित किया गया है, जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि स्व. ठाकुर श्री रघुवीर सिह के कब्जे खातेदारी की भूमि है जो अर्से कदीम से उनके नाम आज भी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। अपीलार्थीगण के द्वारा ठाकुर श्री रघुवीर सिह का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनके कब्जे खातेदारी की भूमि उनके प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान के नाम से दर्ज करने हेतु विरासत के नामान्तरकरण के लिऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त विरासत के नामान्तरकरण में अधीनस्थ न्यायालय को यह प्रश्न तय करना था कि आया स्व. ठाकुर श्री रघुवीरसिह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान कोन–कौन है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का कोई विवेचन किये बिना मात्र उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद के प्रस्तुत किये जाने मात्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नही आने से खारिज किय जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस खातेदार के नाम दर्ज भूमि की विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया जाना आज्ञापक है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित नियम है कि सम्पत्ति कभी स्वामी के बिना नही रहती है ऐसे में जिस व्यक्ति का निधन हो चुका है उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि अंकित रहने का कोई तात्पर्य शेष नही रह जाता है, मृतक की मृत्यु होने के समय से ही उसके प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान उसकी समस्त सम्पत्तियों के स्वामी व अधिकारी हो जाते है ऐसे में राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वे उक्त मृतक के स्थान पर उसके विधिक वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण अंकित करें, विधि के उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक के नाम दर्ज चली आ रही भूमि के राजस्व रिकार्ड में उनके विधिक वारिसान को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने की बजाय राजस्व रिकार्ड में मृतक का नाम पूर्ववर्ती अंकित चले आने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह अत्यन्त त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय के नामान्तरकरण एवं विरासत के नामान्तरकरण के समय कब्जे बाबत जॉच किया जाना ना तो आवश्यक है, और ना ही वांछनीय है, प्रस्तुत प्रकरण में विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना वांछित है जिसमें उक्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में जॉच किया जाना किसी भी प्रकार से आवश्यक

नहीं है लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त प्रकरण में कब्जे के सम्बन्ध में कथन करते हुए विरासत के नामान्तरकण को खारिज किया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदसर भू अभिलेख नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 को खारिज किया जाकर मृतक ठाकुर श्री रघुवीर सिंह के कब्जे खातेदारी की वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण के नाम भरा जाकर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार ठा. रघुवीर सिंह की मृत्यु पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम भरकर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.02.2013 को पेश किया गया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बाय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2013 पारित किया गया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष होने पर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.11.2015 सरपंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 को निरस्त कर तहसीलदार नवलगढ को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था किन्तु तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रकरण का बिना परीक्षण किये ही अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ में दावा विचाराधीन होना बताते हुए पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में उक्त दावा दुरूस्ती व घोषणा का दिनांक 01.06.2016 को ही खारिज किये जाने सम्बन्धी दस्तावेजात संलग्न है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर